राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email Id : pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक प.4(21)ग्रावि/अनु–8/विसी/2018 **जयपुर, दिनांक 31/05/2019**

कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर योजनाओं की प्रगति के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 16.05.2019 के अनुसार IWMS पर दर्ज सूचनाओं को प्रमाणित करने तथा जिले के वास्तविक आँकडों एवं IWMS के आँकडों की समानता हेतु दिनांक 28.05.2019 से 31.05.2019 तक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों की योजनावार समीक्षा की गई। बैठक में दिनांकवार निम्न जिलें शामिल हुयेः–

दिनांक	जिलों के नाम
28.05.2019	अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाडा, झुँझुनू।
29.05.2019	बाडमेर, दौसा, धौलपुर, बून्दी, चित्तौडगढ, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ
30.05.2019	बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा एवं टोंक
31.05.2019	नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर एवं सिरोही

- सभी योजनाओं में राज्य स्तर से प्रेषित प्रपत्रों की सूचना, वांछित बिन्दुवार सूचना एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में रिकार्ड के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। विधाससभा क्षेत्रवार प्रारम्भिक शेष/अन्तिम शेष की सूचना दिनांक 28.05.2019 व 29.05.2019 वाले जिले 03.06.2019 तक तथा 30.05.2019 व 31.05.2019 वाले जिले दिनांक 04.06.2019 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सभी योजनाओं के प्रारम्भ से ही प्राप्ति व व्यय का विवरण तैयार कर अविलम्ब विभाग को भिजवाया जावे ताकि जिलों की समग्र प्रगति की समीक्षा हो सके।
- रिकार्ड के अनुसार iwms पर इन्द्राज करावें।
- आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा ने सभी जिलों को समस्त योजनाओं में रिकार्ड के अनुसार iwms पर संशोधन कर त्रुटि सुधार के उपरान्त बैठक में आना चाहिए था, हेतु निर्देशित किया गया।
- जिलों को योजनाओं में निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। 100 प्रतिशत से ज्यादा उपलब्धि नहीं हो सकती है। सभी योजनाओं की दिनांक 30.06.2019 तक सीए ऑडिट रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलों द्वारा सूचना तैयार कर नहीं लाने को आयुक्त महात्मा गाँधी नरेगा ने गम्भीरता से लिया तथा परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो. एवं मू.) को निर्देशित किया गया कि iwms के आँकडे यहीं बैठकर भरवाये जावें एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।
- विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास ने परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो. एवं मू.) को प्राप्त सूचनाओं को पत्रावली पर लेने हेतु निर्देश दिये। विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास ने निर्देश प्रदान किये गये कि राज्य स्तर से आँकडे गलत तैयार हो रहे है।
- समायोजन आदेश में स्वीकृत राशि कैप्चर कर ली जाती है। इसका परिक्षण किया जावें एवं सही इन्द्राज किया जावें।
- दोहरी प्रविष्टि को निरस्त कर सही करें।
- प्रपत्र–17 में block से प्राप्त uc में किये गये व्यय को सही माना जावेगा। mpr में अनुमानित व्यय को सही नहीं माना जावेगा। इस आक्षेप को प्रावधन iwms में किया जावें।

- डांग, मगरा, मेवात में राज्य स्तर की जो राशि है उसकी मोनिटरिंग एसएपी अनुभाग में हो रही है। iwms में प्रावधान करने हेतु एसएपी अनुभाग से प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।
- योजनाओं की विधायक/सांसद क्षेत्रवार सीए ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 30.06.2019 तक भिजवायी जावें।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में राज्यसभा एवं लोकसभा के नोडल जिलो द्वारा अन्य जिलो को राशि का उपआवंटन किया जाता है वे जिले सांसद के नामवार पृथक खाता खोले एवं 21.06.2019 तक सीए ऑडिट कराकर ऑडिट रिपोर्ट यूसी फोरमेट मय कार्यों की सूची के विवरण सहित नोडल जिलों को भेजेगें। जिससे नोडल जिला दिनांक 30.06.2019 तक सीए आडिट करा सके।
- कार्य स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्ति से लेकर प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति एवं उपयोगिता प्रणाम पत्र/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र समायोजन आदि संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जिलों को जारी किया जावे जिससे सभी जिलों में योजना क्रियान्विति की एकरूपता रहे।
- iwms के संबंध में जो–जो सुझाव जिलों से प्राप्त हुए है एवं जिलों को डेटा अपलोड करने में जो कठिनाईयाँ है इनका प्रावधान एवं कठिनाईयों का समाधान शीघ्र किया जावे।
- गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में नकद जनसहयोग से प्राप्त राशि/व्यय राशि का विवरण दिनांक 31.03.2019 के नगद अवशेष की सूचना विभाग को भिजवाये।
- दिनांक 01.04.2018 को अन्तिम शेष/प्रारम्भिक शेष विधायक/सांसद क्षेत्रवार उपलब्ध करावें।
- 14वीं विधानसभा में विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना में गत वर्ष के कार्य की स्वीकृति निरस्त करें एवं नये सिरे से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति पुनः जारी करें।
- गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना, डांग, मगरा, मेवात, स्वविवेक में जो कार्य स्वीकृत किये हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण करावें तथा uc/cc का समायोजन करें।
- इस वर्ष से राज्यसभावार/लोकसभावार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा भारत सरकार के पोर्टल पर होगी।
- सांसदों के अलग खाते खोले जायेंगें। परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एसएपी) अनुभाग द्वारा योजना के प्रावधान अनुसार जिलों को निर्देश जारी किये जावें।
- गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना एवं अन्य योजनाओं में जिलों की 100 प्रतिशत से अधिक राशि के व्यय की जाँच करें एवं आँकडों को सही करें।
- परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं भू.) द्वारा अवगत कराया गया कि गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में दायित्व हैं, तो कार्यवार सूची प्रस्ताव भिजवाये ताकि राशि भिजवाने की कार्यवाही की जा सके।
- जिलों द्वारा अवगत करवाया गया कि सांसद, विधायक, बीएडीपी तथा शहरी क्षेत्र का खर्चा iwms पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है इसका प्रावधान किया जावे।
- कार्य पूर्ण होने का इन्द्राज cc समायोजना के बाद ही किया जावे।
- लैण्ड टाईटल क्लियर होने के बाद ही कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती हैं। IWMS में इस आशय का प्रावधान किया गया हैं।
- जिलों से प्राप्त सुझाव में कार्य प्रारम्भ होने के फोटो आने पर ही कार्य अन्डर प्रोग्रेस में माना जावें।
- विशिष्ट शासन सचिव ने सभी जिलो के प्रभारी अधिकारीयों को IWMS पर अंकित किये गये डाटा अपने स्तर से जाँच कर ही डालने हेतु निर्देश दिये गये।
- परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में पुरानी स्वीकृतियों को निरस्त कर पुरानी अभिशंषा अनुसार 14वीं विधानसभा की नवीन स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये जावें।
- IWMS में जिलों को कोई भी समस्या हो तो अवगत करावें। जिसका निस्तारण शीघ्र कर दिया जावेगा। समस्या सूचना में अपनी समस्या सुझाव iwms पर दर्ज की जा सकती है।

- CA ऑडिटर नियुक्त करने हेतु परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी को राज्य स्तर से निर्देश जारी करने हेतु जिलों द्वारा अनुरोध किया गया।
- कार्यसंपादन हेतु सामग्री एवं फर्म का निर्धारण हेतु पीओं अकाउट्स उतरदायी होंगे एवं दर अनुसूची निर्धारण के लिए अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) उत्तरदायी होगें। निर्धारित तिथि अनुसार सामग्री/फर्म की दरों का निर्धारण एवं बीएसआर का निर्धारण करना सुनिश्चित करे।
- किसी भी योजना में कोई भी कार्य 9 माह में पूर्ण नहीं होता है तो शास्ती (जुर्माना) लगाया जावे, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होगे।
- आयुक्त महात्मा गाँधी नरेगा ने सभी जिलो को फोरमेट के संबंध में अवगत कराया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि फोरमेट में सूचना आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही की जावेगी।

अन्त में बैठके सधन्यवाद समाप्त हुई।

भवदीय

3(05)19

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रावि।
3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
4 जिला कलक्टर, जिला समस्त।
5 संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन, ग्रावि।
6 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी, ग्रावि।
7 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव(वित्त एवं लेखा), ग्रावि।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9 अति. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
10 अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद समस्त।
11 परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद समस्त।

3(05)19

परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)